प्रकरण संख्या 08 / 17 RCMS ID-2017 / 00067 ता0रजू 22.12.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. पातीराम पुत्र रामजीलाल आयु 53 साल } जाति कुम्हार निवासी कंचनपुर तलहटी
2. नंदकिशोर पुत्र रामजीलाल आयु 32 साल } तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)

– प्रार्थीयान

बनाम

1. किशोरी पुत्र दौजी } जातियान जाटव निवासी लखनीपुर तहसील मासलपुर
2. सरोज पुत्री दौजी } जिला करौली राज.
3. आवंटन अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) करौली
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली राज. – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970</u>

निर्णय

दिनांक 17.12.2019

यह प्रार्थना पत्र निगरानी भू–आवंटन आदेश 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कंचनपुर तलहटी की आराजी खसरा नं. 351 रकबा 15 बीघा जो श्री दौजी पुत्र लौहडे को आवंटित की गई है, आवंटन को विधि सम्मत नहीं होना बताकर आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब पेश किया। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, विधि विरुद्ध है। आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी नं. 3 से प्रार्थीयान के पिता ने आवंटन कपटपूर्ण तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन कर आवंटन आदेश पारित कराया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 351 रकबा 15 बीघा ग्राम कंचनपुर तलहटी पर अप्रार्थीयान नं. 1 व 2 व अप्रार्थीयान के पिता व पति दौजी पुत्र लौहडे का कोई कब्जा काश्त दिनांक 16.06.1976 से नहीं है ना दिनांक 16.06.1976 से पूर्व रहा है बल्कि उक्त आराजी रकबा 15 बीघा अप्रार्थीयान के पिता रामजीलाल पुत्र सामलिया कुम्हार निवासी कंचनपुर को संवत् 2022 में ऐलोट (आवंटित) हुई है जिसके इन्द्राज प्रार्थीयान के पिता के हक में जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 के कॉलम सं. 16 में रहे हैं और तभी से प्रार्थीयान का पिता व प्रार्थीयान उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीयान के पिता का स्वर्गवास 4 साल पूर्व हो चुका है। पिता के मरने के बाद प्रार्थीयान उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त साधिकार चले आ रहे हैं। आवंटन सलाहकार समिति करौली का दिनांक 15.06.76 को पूर्ण कोरम नहीं था। कोई जनप्रतिनिधि वक्त आवंटन सलाहकार समिति के उपस्थित नहीं रहा है। कोरम अपूर्ण रहा है फिर भी आवंटन अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 16.06.76 को विधि विरुद्ध रूप से अप्रार्थीयान के पिता व पति दौजी के हक में आवंटन आदेश जारी कर

विधि विरुद्ध रूप से आवंटन आदेश दिनांक 16.06.76 पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थीयान का पिता दौजी ग्राम कंचनपुर तलहटी का मूल निवासी नहीं है बल्कि ग्राम लखनीपुर का निवासी है फिर भी आवंटन अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थीयान के पिता व पति के हक में विधि विरुद्ध रूप से खसरा नं. 351 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है जबकि प्रार्थीयान ग्राम कंचनपुर के स्थायी निवासी हैं। प्रार्थीयान का उक्त भूमि पर कब्जा सम्वत् 2022 से पिता रामजीलाल के जीवनकाल से चला आ रहा है। कब्जा रिपोर्ट दिनांक 01.09.76 में खसरा नं. 351 / 1 रकबा 12 बीघा पर कब्जा दौजी को दिया जाना बताया है जबकि आवंटन आदेश दिनांक 16.06.76 रकबा 15 बीघा का दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 16.06.76 का आवंटन आदेश विधि सम्मत नहीं है। मौके पर प्रार्थीयान के पिता को रकबा 15 बीघा भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है एवं कब्जा रिपोर्ट पर ग्राम कंचनपुर तलहटी के किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे कब्जा रिपोर्ट साजिशी होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश व कब्जा रिपोर्ट विरोधाभासी होने से विधि सम्मत नहीं हैं और आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 निरस्त योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 की जानकारी प्रार्थीयान को दिनांक 23.11.2017 को अप्रार्थीयान द्वारा भूमि में रबी की फसल काश्त के लिए सफाई करने पर अप्रार्थीयान द्वारा आराजी पर आकर उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीयान के हक में होने की कहने पर एवं अप्रार्थीयान के पिता को दिनांक 16.06.76 को आवंटित होने की कहने पर दिनांक 24.11.17 हो प्रार्थीयान द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 का नकल आवेदन कराने पर एवं दिनांक 29.11.2017 को नकल प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व प्रार्थीयान को आवंटन आदेश दिनांक 16.06.76 का ज्ञान नहीं रहा है। अतः दिनांक 16.06.76 से 29.11.17 तक की अवधि कण्डौन किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न पेश किया है। उक्त आराजी खसरा नं. 351 रकबा 15 बीघा ग्राम कंचनपुर तलहटी पर प्रार्थीयान के पिता का रामजीलाल के जीवनकाल से संवत् 2022 से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटन आदेश से प्रार्थीयान के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। पक्षकार उक्त आदेश से पीड़ित पक्षकार है। इसलिये प्रार्थीयान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

बहस प्रार्थीयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। आवंटन संबंधी कार्यवाही में आवंटन समिति के आवंटन कार्यवाही विवरण रजिस्टर में हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसमें कोरम के हस्ताक्षर नहीं हैं, ऐसा प्रार्थीगण साबित नहीं कर पाये हैं। प्रार्थीगण आवंटन को अवैध होना साबित करने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 351 / 1 पर अपना कब्जा होना भी साबित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है तथा आवंटी के हक में किया गया आवंटन यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:04:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: